

अति-महत्वपूर्ण / ई-मेल द्वारा

प्रेषक,

महानिदेशक,  
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. कुलसचिव / नोडल अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ,
2. निदेशक / नोडल अधिकारी, डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ
3. प्रधानाचार्य / नोडल अधिकारी, मेडिकल कालेज कानपुर, आगरा, मेरठ, झासी, गोरखपुर, प्रयागराज, आजमगढ़, अम्बेडकरनगर, कन्नौज, जालौन, सहारनपुर, बॉदा, बदौयू
4. कुलसचिव / नोडल अधिकारी, ड०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा।
5. रवशासी राजकीय मेडिकल कालेज, अयोध्या / शाहजहाँपुर

संख्या—एम०इ०-३/२०१०/२१६

विषय—नीट यू०जी० 2020 की कांडसिलिंग हेतु अभिलेखों के सत्यापन एवं प्रवेश के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 1657/ 71-4-2020-07/2018 दिनांक 29 अक्टूबर 2020 के द्वारा नीट यू०जी० 2020 (शासनादेश की छायाप्रति संलग्न) हेतु एम०बी०बी०एस०/बी०डी०एस० पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अभिलेखों का सत्यापन एवं प्रवेश की कार्यवाही उक्तानुसार नोडल सेंटर पर कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

अतः उक्त के संबंध में कहना है कि अभ्यर्थियों के अभिलेखों के सत्यापन एवं प्रवेश की कार्यवाही भली भांति सम्पन्न कराये जाने कराये जाने हेतु शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुरूप कराये जाने हेतु अपने—अपने चिकित्सा महाविद्यालय में नीट यू०जी० 2020 हेतु नोडल अधिकारी नामित करते हुये नोडल अधिकारी का नाम पद नाम मोबाइल नम्बर, ई—मेल आई डी० सहित इस कार्यालय को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें, नीट यू०जी० की समय—सारिणी शीघ्र ही आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

संलग्नक: — उपर्युक्तानुसार

(के०के०गुप्ता)  
महानिदेशक

संख्या—एम०इ०-३/२०१०/

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, ड०प्र० शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग—४ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

तददिनांक

  
(के०के०गुप्ता)  
महानिदेशक

प्रेषक,

डा० रजनीश दुबे,  
अपर मुख्य सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,  
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,  
उ०प्र०, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग—४

लखनऊ दिनांक २९ अक्टूबर, २०२०

विषय—शैक्षणिक सत्र २०२०—२१ हेतु एम०बी०बी०एस० / बी०डी०एस० पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु नीति निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—एम०इ०—३ / २०२० / १८६१ दिनांक ०६.१०.२०२० के सांदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नीट य०जी०—२०२० की मेरिट सूची के आधार पर स्टेट कोटा की सीटों के सापेक्ष शैक्षणिक सत्र—२०२०—२१ में प्रदेश के राजकीय क्षेत्र के समस्त मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंडल कालेजों/विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों में एम०बी०बी०एस० / बी०डी०एस० पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु नीति निर्धारित करते हुए कार्यवाही किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्थीकृति प्रदान करते हैं।

#### १. तकनीकी संस्था का नामांकन

शैक्षणिक सत्र—२०२०—२१ में राजकीय क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के समस्त मेडिकल/डेण्टल कालेजों में प्रवेश हेतु नीट य०जी०—२०२० की मेरिट सूची के आधार पर काउंसिलिंग/प्रवेश हेतु छात्रों का ऑन लाईन पंजीकरण, डाटा कैचर, फोटो अपलोड, शुल्क भुगतान एवं छात्रों की स्टेट मेरिट सूची तैयार किये जाने आदि की कार्यवाही हेतु National Informatics Center (NIC) को तकनीकी संस्था के रूप में नामित किया जाता है। तकनीकी संस्था द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ की देख-रेख में नेशनल ट्रेस्टिंग एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी मेरिट सूची के आधार पर श्रेणीवार (अनारक्षित श्रेणी, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछ़ड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) श्रेणी) राज्य मेरिट सूची तैयार की जायेगी। उक्त के साथ-साथ डा० अनूप कुमार वर्मा, परीक्षा नियंत्रक, के०जी०एम०य०, लखनऊ को नीट य०जी० २०२० हेतु परामर्शदाता व संदीप भट्टाचार्य, विभागाध्यक्ष, फिजियोलॉजी मेडिसिन विभाग, के०जी०एम०य०, लखनऊ को अतिरिक्त परामर्शदाता के रूप में भी नामित किया जाता है।

#### २. विवरण पुस्तिका (ब्रोशर)

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ द्वारा एक समिति गठित कर अपनी देख-रेख में शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/नीति के अनुपालन में नीट य०जी०—२०२० हेतु एक विवरण पुस्तिका (ब्रोशर) तैयार की जायेगी, जिसमें समस्त निर्धारित प्रारूप पत्रों को संलग्नक के रूप में प्रदर्शित किया जायेगा। महानिदेशक

चिकित्सा शिक्षा द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ब्रोशर में प्रकाशित समस्त सूचनाएँ/तथ्य एवं निर्धारित प्रारूप शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/निर्देशों के अनुसार हो।

### **3. अर्हताये (Eligibility)**

(1) राजकीय एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों/अल्पसंख्यक संस्थानों में प्रवेश हेतु अर्हताये (Eligibility)

- ऐसे छात्र जिन्होंने NEET यूजी0 2020 की परीक्षा में प्रतिभाग किया हो, नीट उत्तीर्ण किया हो तथा निर्धारित ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से एन0आई0सी0 की वेबसाइट <https://upneet.gov.in> पर पंजीकरण कराया हो, ही कांउसिलिंग हेतु अहं माने जायेंगे। पंजीकरण के साह्य के रूप में वेबसाइट द्वारा अभ्यर्थी के अध्यर्थन के क्रम में प्राप्त प्रिंट आउट अनुमन्य होगा।
- प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों/संस्थान/डेण्टल कालेज में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। इस निमित्त ऐसे अभ्यर्थियों जिन्होंने हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षायें उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो उनके लिए डोमीसाइल/सामान्य निवास प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा। शेष अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय निर्धारित किये गये प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत “डोमीसाइल/सामान्य निवास प्रमाण पत्र” प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- प्रदेश के निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक संस्थाओं में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना या हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं होगा।

**नोट:-**

नीट यूजी0 यू0पी0—2020 में डोमीसाइल/सामान्य निवास प्रमाण पत्र हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या—157/तीन—2003—77(11)/83 दिनांक 18.02.2003 में जो प्रारूप निर्धारित किया गया है, उसी पर डोमीसाइल/सामान्य निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ब्रोशर में इस हेतु अलग से कोई प्रारूप टंकित नहीं किया जायेगा। महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा डोमीसाइल/सामान्य निवास संबंधी शासनादेश दिनांक 18.02.2003 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार डोमीसाइल/सामान्य निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने संबंधी व्यवस्था को नीट—2020 व महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ की वेबसाइट पर अपलोड कराया जाएगा तथा इस संबंध में व्यापक प्रसार वाले राष्ट्रीय व स्थानीय हिन्दी तथा अंग्रेजी समाचार पत्रों में विज्ञापन भी प्रकाशित कराया जाएगा।

**(2) शैक्षिक अर्हताये (NEET UG 2020 के Brochure के अनुसार )**

Eligibility for appearing in NEET (UG) is as stipulated in Indian Medical Council Act-1956 and the Dentists Act-1948 as amended in 2018.

Eligibility as per related Regulations is as follows:-

- i. He/she has completed age of 17 years at the time of admission or will complete that age on or before 31st December of the year of his/her admission to the 1st year MBBS/BDS Course.

ii. The upper age limit for NEET (UG) is 25 years as on the date of examination with relaxation of 5 years for the candidates belonging to SC/ST/OBC category and persons entitled for reservation under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.

The Age criteria for appearing in NEET (UG) - 2020 is as follows:

For Candidates of Unreserved Category (UR)	born on or between 05.05.1995 and 31.12.2003
For Candidates of SC/ST/OBC/PwD Category	born on or between 05.05.1990 and 31.12.2003

iii. Indian Citizens/ Overseas Citizens of India intending to pursue MBBS/ BDS from a foreign Medical/ Dental Institute also need to qualify NEET (UG).

2. Eligibility for seats under the control of States/Deemed Universities/Central Universities/ESIC and AFMC including Delhi University (DU), BHU & AMU/central pool quota

i. Indian Nationals, Non Resident Indians (NRIs), Overseas Citizen of India (OCI), Persons with Indian Origin (PIO) and Foreign Nationals are eligible for admission in Medical/Dental Colleges subject to rules and regulations framed by the respective State Governments, Institutions and the Government of India as the case may be.

ii. Foreign nationals may confirm their eligibility from the concerned Medical/Dental College/State.

### 3. Eligibility for 15% All India Quota seats

a) Indian Nationals, Non Resident Indians (NRIs), Overseas Citizen of India (OCI), Persons of Indian Origin (PIO) and Foreign Nationals are eligible for 15% All India Quota Seats.

i. The online Self Declaration of the candidates will be verified at the time of counseling and if found to be false at any time, the candidature/admission of such candidates shall be cancelled and criminal proceedings may be initiated against such candidates.

### Qualifications and Qualifying Examination Codes

CODE : 01	A candidate who is appearing in the qualifying examination, i.e., 12th Standard in 2020, whose result is awaited, may apply and take up the said test but he/she shall not be eligible for admission to the MBBS or BDS, if he/she does not pass the qualifying examination with the required pass percentage of marks at the time of first round of Counseling.
OR	
CODE : 02	The Higher/Senior Secondary Examination or the Indian School Certificate Examination which is equivalent to 10+2 Higher/Senior Secondary Examination after a period of 12 years study, the last two years of such study comprising of Physics, Chemistry, Biology/Biotechnology (which shall include practical tests in these subjects) and Mathematics or any other elective subject with 12 English at a level not less than the core course for English as prescribed by the National Council of Educational Research and Training after introduction of the 10+2+3 educational structure as recommended by the National Committee on Education. Candidates who have passed 10+2 from Open School or as private candidates shall not be eligible to appear for 'National Eligibility Cum Entrance Test'. Furthermore, study of Biology/Biotechnology as an Additional Subject at 10+2 level also shall not be permissible. The proviso in italics has been subject matter of challenge before the Hon'ble High Court of Delhi, Hon'ble High Court of Allahabad, Lucknow Bench and Hon'ble High Court of Madhya Pradesh at Jabalpur. The provisions of the regulations

	disqualifying recognized Open School Board candidates and the candidates who have studied Biology/Biotechnology as an additional Subject has been struck down.
<b>OR</b>	
<b>CODE : 03</b>	The Intermediate/Pre-degree Examination in Science of an Indian University/Board or other recognised examining body with Physics, Chemistry, Biology/Bio-technology (which shall include practical test in these subjects) and also English as a compulsory subject.
<b>OR</b>	
<b>CODE : 04</b>	The Pre-professional/Pre-medical Examination with Physics, Chemistry, Biology/Bio-technology & English after passing either the Higher Secondary Examination or the Pre-University or an equivalent examination. The Pre-professional/Pre-medical examination shall include practical tests in these subjects and also English as a compulsory subject.
<b>OR</b>	
<b>CODE : 05</b>	The first year of the three years' degree course of a recognised University with Physics, Chemistry and Biology/Bio-technology including practical tests in these subjects provided the examination is a University Examination and candidate has passed the earlier qualifying examination with Physics, Chemistry, Biology/ Biotechnology with English at a level not less than a core course.
<b>OR</b>	
<b>CODE : 06</b>	B.Sc. Examination of an Indian University provided that he/she has passed the B.Sc. Examination with not less than two of the subjects Physics, Chemistry, Biology (Botany, Zoology)/Bio-technology and further that he/ she has passed the earlier qualifying examination with Physics, Chemistry, Biology and English.
<b>OR</b>	
<b>CODE : 07</b>	Any other examination which in scope and standard (Last 02 years of 10+2 Study comprising of Physics, Chemistry and Biology/Biotechnology; which shall include practical test in these subjects) is found to be equivalent to the Intermediate Science Examination of an Indian University/Board, taking Physics, Chemistry and Biology/Bio-technology including practical tests in each of these subjects and English.

- Provided that to be eligible for NEET (UG) - 2020, candidate must have passed any of the qualifying examinations as enumerated above or appearing in the qualifying examination in 2020. Provided also that to be eligible for NEET (UG) - 2020, the candidate must have passed in the subjects of Physics, Chemistry, Biology/Bio-technology and English individually and must have obtained a minimum of 50% marks taken together in Physics, Chemistry and Biology/Bio-technology at the qualifying examination as mentioned in clause (2) of Regulation 4 on Graduate Medical Education Regulations, 1997 as amended in 2018 and in addition must have come in the merit list of NEET (UG) - 2020 for admission to MBBS/BDS Courses.
- In respect of the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes, the marks obtained in Physics, Chemistry and Biology/Bio-technology taken together in qualifying examination shall be 40% marks instead of 50% marks for Unreserved Candidates and 40% for SC/ST/OBC candidates. In respect of PwD candidates specified under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, the minimum marks in qualifying examination in Physics, Chemistry and Biology (or Botany & Zoology)/Bio-technology taken together in qualifying examination shall be 45% instead of 50% for Unreserved category candidates.

- Provided further that the students educated abroad seeking admission into medical colleges in India must have passed in the subjects of Physics, Chemistry, Biology/Bio-technology and English up to the 12th standard level with 50% marks and their equivalency determined by Association of Indian Universities (AIU) as per regulations of the Medical Council of India and the concerned University.

- If a candidate does not fall within the qualifications prescribed as per Code number 01-07, he/she should furnish complete details to determine eligibility.

**Note:**

- The Pre-medical course may be conducted either at a Medical College or at a Science College.
- Marks obtained in Mathematics are not to be considered for eligibility for admission to MBBS/BDS Courses.
- The candidates who have studied from the Foreign/International Board should ensure that the qualifying examination passed by them are, in scope and standard, as explained in CODE:07.

➤ यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि मा० न्यायालय के आदेश के कम में यदि एन०सी०आई० द्वारा अर्हता में परिवर्तन किया जाता है तो वह मान्य होगा।

#### 4. अभिलेखों का सत्यापन

निम्नलिखित अभिलेखों का सत्यापन अभ्यर्थी द्वारा कराया जायेगा:-

1. हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की मार्कशीट तथा प्रमाण पत्र।

2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा उ०प्र० शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत डोमीसाइल / सामान्य निवास प्रमाण—पत्र।

3. सामान्य प्राधिकारी द्वारा आरक्षण के दावे से सम्बन्धित अभिलेख—अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों/भूतपूर्व सैनिकों/विकलांगता सम्बन्धी प्रमाण पत्र/एन०सी०सी० सर्टिफिकेट (अभ्यर्थी जिस आरक्षित श्रेणी का दावा करेगा उससे सम्बन्धित प्रमाण—पत्र उसके द्वारा सत्यापित कराया जायेगा)।

आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र (दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र/एन०सी०सी० सर्टिफिकेट को छोड़कर ) उ०प्र० राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त प्रारूप पर ही मान्य होगें। अन्य प्रदेशों से जारी आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

➤ दिव्यांगता प्रमाण पत्र (मेडिकल सर्टिफिकेट) भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रों व जारी प्रारूप पर ही मान्य होगा।

➤ एन०सी०सी० प्रमाण पत्र (सी सर्टिफिकेट वी ग्रेडिंग के साथ) नेशनल कैडेट कोर (National Cadet Corps)हेतु प्राधिकृत बटालियन (अधिकारी) द्वारा जारी किया गया मान्य होगा।

➤ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (Freedom Fighter)के आश्रितों के लिये ब्रोशर नीट य०जी० य०पी०—२०२० के साथ संलग्न प्रारूप पर ही मान्य होगा।

➤ भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र पुत्री के लिये ब्रोशर नीट य०जी० य०पी०—२०२० के साथ संलग्न प्रारूप पर ही मान्य होगा।

## अभिलेखों के सत्यापन हेतु नोडल सेंटर

उक्त उल्लिखित अभिलेखों का सत्यापन कराये जाने हेतु अध्यर्थियों को निम्नांकित मेडिकल कालेज / विश्वविद्यालय / संस्थान में मूल अभिलेखों सहित स्वयं उपस्थिति होना होगा। उपस्थित होने हेतु तिथि एवं समय की सूचना पृथक से एन0आई0सी0 की वेबसाईट <https://upneet.gov.in> तथा विभाग की वेबसाईट [www.updgme.in](http://www.updgme.in) पर प्रदर्शित की जायेगी। इस हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

क्र.	मेडिकल कालेज / विश्वविद्यालय / संस्थान का (सिण्टर का नाम)
1	किंग जर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ
2	डॉ राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ
3	जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर
4	एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा
5	एल0एल0आर0एम0 मेडिकल कालेज, मेरठ
6	एम0एल0वी10 मेडिकल कालेज, झौंसी
7	बी0आर0डी10 मेडिकल कालेज, गोरखपुर
8	एम0एल0एन0 मेडिकल कालेज, प्रयागराज
9	उ0प्र0 आयुविज्ञान विश्वविद्यालय, सैफ़ू, हटावा
10	राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़
11	राजकीय मेडिकल कालेज, अन्धेडकरनगर
12	राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज
13	राजकीय मेडिकल कालेज, जगलौन
14	राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर
15	राजकीय मेडिकल कालेज, बौदा
16	राजकीय मेडिकल कालेज, बदौयू
17	स्वशासी राजकीय मेडिकल कालेज, अयोध्या
18	स्वशासी राजकीय मेडिकल कालेज, शौहजहाँपुर

नीट यू0पी0 यू0जी0-2020 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेन्टल कालेजों में आवेदित अध्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कराये जाने वाले नोडल सेंटर की सूची

क्र.	प्रस्तावित नोडल सेंटर	निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज	निजी क्षेत्र के डेन्टल कालेज
1.	किंग चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ	1. कैरियर इंस्टी10 आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ 2. एराज लखनऊ मेडिकल कालेज, लखनऊ 3.टी0एस0 निशा मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ 4.इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल कालेज साइंसेज, लखनऊ 5. प्रसाद इंस्टी10 आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ	1.कैरियर इंस्टी10 आफ डेन्टल साइंसेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ 2.सरस्वती डेन्टल कालेज, एण्ड रिसर्च, लखनऊ
2.	डॉ राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ	6. हिन्द इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, बाराबंकी 7.मेया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल कालेज साइंसेज, बाराबंकी 8. हिन्द इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, सीतापुर	3.सरदार पटेल पोर्ट ग्रेजुएट आफ डेन्टल साइंसेज, लखनऊ 4.बी0वी0डी10 कालेज आफ डेन्टल साइंसेज, लखनऊ 5.चन्द्रा डेन्टल कालेज, बाराबंकी
3.	जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर	9. रामा इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, कानपुर 10. सरस्वती मेडिकल कालेज, उन्नाव 11. रामा मेडिकल एण्ड हॉस्पिटल, हापुड	6.रामा डेन्टल कालेज, कानपुर 7.महाराणा प्रताप डेन्टल कालेज एण्ड हॉस्पिटल कानपुर

4.	एस०एन० मेडिकल कालेज, आगरा	12. के०डी० मेडिकल कालेज, मथुरा	8.के०डी० डेन्टल कालेज, मथुरा
		13. एफ०एच० मेडिकल कालेज, आगरा	9.इन्हृप्रस्थ डेन्टल कालेज एण्ड हास्पिटल, गाजियाबाद
5.	एल०एल०आर० एम० मेडिकल कालेज मेरठ	14. कृष्ण मोहन मेडिकल कालेज, मथुरा	
		15. श्री रामनूति स्मारक इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, वरेली	
6.	एम०एल०एन० मेडिकल कालेज प्रयागराज	16. राजश्वी मेडिकल कालेज, वरेली	
		17. श्री वैकटेश्वरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गजरीला, अमरोहा	
7.	दौ०जार०ड० मेडिकल कालेज, गोरखपुर	18. सुमारती मेडिकल कालेज, मेरठ	10.सुमारती डेन्टल कालेज, मेरठ
		19.जी०एस० मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, पिलखुआ, हापुड़	11.कालाका डेन्टल कालेज एण्ड हास्पिटल, मेरठ
8.	मेडिकल कालेज, सहारनपुर	20.सरस्वती इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल कालेज साइंसेज, हापुड़	12. आई०डी०एस०टी० डेण्टल कालेज मोदीनगर गाजियाबाद
		21.तीर्थीकर महावीर मेडिकल कालेज, मुरादाबाद	13.कोठीवाल डेन्टल कालेज एण्ड रिसर्च, मुरादाबाद
9.	स्याशस्त्री विकित्सा महाविद्यालय शॉहजहाँपुर	22. नेशनल कॉपिटल रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एम०एस०वा०ह)	14. तीर्थीकर महावीर डेण्टल कालेज, मुरादाबाद
		23.हेरिटेज इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल कालेज साइंसेज, वाराणसी	
		24. यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ प्रयागराज	
10.	स्कूल एवं कॉलेज आफ मेडिकल कालेज गोरखपुर	25.मुजफ्फरनगर मेडिकल कालेज, मुजफ्फरनगर	15.पूर्वांचल इंस्टीट्यूट डेन्टल साइन्स, गोरखपुर
		26.स्कूल आफ मेडिकल साइंसेज (शारदा यूनिवर्सिटी), ग्रेटर नोएडा	16.डेन्टल कालेज, आजमगढ़
11.	स्कूल एवं कॉलेज आफ मेडिकल कालेज सहारनपुर	27. नोयडा इन्सर्नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, गौतमबुद्धनगर	17.आई०टी०एस० सेन्टर फार डेन्टल साइंस मुरादनगर गाजियाबाद
		28.स्कूल आफ मेडिकल साइंसेज (शारदा यूनिवर्सिटी), ग्रेटर नोएडा	18.डी०जी० कार्बेज आफ डेन्टल साइन्स एण्ड रिसर्च, मोदीनगर गाजियाबाद
12.	स्कूल एवं कॉलेज आफ मेडिकल कालेज शॉहजहाँपुर	29.वरुणभर्जुन मेडिकल कालेज शॉहजहाँपुर	19.श्री वांके विहारी डेन्टल कालेज, गाजियाबाद
		28. सहेलखण्ड मेडिकल कालेज, वरेली	20.स्कूल आफ डेन्टल साइंसेज (शारदा यूनिवर्सिटी), ग्रेटर नोएडा
13.	स्कूल एवं कॉलेज आफ मेडिकल कालेज शॉहजहाँपुर	29.वरुणभर्जुन मेडिकल कालेज शॉहजहाँपुर	21.आई०टी०एस० कालेज हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, ग्रेटर नोएडा
			22.आई०डी०एस० डेन्टल कालेज, वरेली

नोडल सेन्टरों/मेडिकल कालेजों के प्रधानाचार्यों द्वारा उनके मेडिकल कालेज में स्थापित बैंकों को धरोहर धनराशि एवं अन्य संगत ड्राफ्ट बनाये जाने के संबंध में अवकाश के दिनों में भी सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु यथोचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

### 5. पंजीकरण शुल्क

नीट यू०जी० 2020 की काउसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पंजीकरण शुल्क रु० 2,000/- प्रति अम्यर्थी (दोनों चक्रों की काउसिलिंग हेतु) तथा मॉप अप राउण्ड हेतु रु० 1000/- प्रति अम्यर्थी (मॉप अप राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु सभी अहं अम्यर्थियों को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा)। पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जमा कराया जायेगा। पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

यदि अभ्यर्थी प्रथम चक की काउंसिलिंग हेतु पंजीकरण नहीं करता है तो ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय चक की काउंसिलिंग हेतु ₹0 2000/- जमा कराकर प्रतिभाग कर सकता है।

## 6. धरोहर धनराशि (Security Money)

स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु धरोहर धनराशि (Security Money) के रूप में राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों की सीट हेतु ₹0 30,000/- (₹0 तीस हजार मात्र) तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों की सीट हेतु ₹0 2,00,000/- (₹0 दो लाख मात्र) एवं निजी क्षेत्र के डेन्टल कालेजों की सीट हेतु ₹0 1,00,000/- (₹0 एक लाख मात्र) की धनराशि सिक्योरिटी भनी के रूप में च्वाईस फिलिंग करने से पूर्व बैंक ब्राफट के माध्यम से जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश लेने के उपरान्त उनकी धरोहर धनराशि (Security Money) अभ्यर्थी को वापस की जायेगी। जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवंटन के पश्चात प्रवेश प्राप्त नहीं किया जाएगा उनकी धरोहर धनराशि (Security Money) जब्त कर ली जाएगी।

## 7. ऑल इण्डिया कोटा की समर्पित सीटों के सम्बन्ध में

ऑल इण्डिया की द्वितीय काउंसिलिंग के पश्चात प्रदेश को समर्पित रिक्त सीटों की काउंसिलिंग में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका आशीष रंजन व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

## 8. त्याग-पत्र दिये जाने के संबंध में

रिट याचिका (सिविल) संख्या-267 / 2017 दार-उस-सलाम एजूकेशनल ट्रस्ट व अन्य बनाम मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.05.2017 के अनुपालन में निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में प्रवेश के संबंध में द्वितीय चक की काउंसिलिंग की च्वाईस फिलिंग प्रारम्भ होने के पश्चात प्रवेशित अभ्यर्थी को सीट रिक्त करने की अनुमति नहीं होगी।

यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम काउंसिलिंग से आवंटित होकर प्रदेश के किसी भी मेडिकल/डेण्टल की सीट पर प्रवेश प्राप्त कर लेता है तत्पश्चात अभ्यर्थी ऑल इण्डिया या अन्य प्रदेश की काउंसिलिंग के माध्यम से किसी सीट पर आवंटन प्राप्त करता है और वह प्रदेश की प्रथम काउंसिलिंग से प्रवेशित सीट से त्यागपत्र देना चाहता है (त्यागपत्र के समय किसी अन्य काउंसिलिंग से आवंटन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा) तो ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय चक की काउंसिलिंग की च्वाईस फिलिंग से दो दिन (उदाहरणार्थ यदि द्वितीय चक की काउंसिलिंग की च्वाईस फिलिंग 05.11.2020 से प्रारम्भ है तो अभ्यर्थी 02.11.2020 को सायं 04:00 बजे तक) पूर्व अपनी सीट से त्यागपत्र दे सकते हैं ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सिक्योरिटी धनराशि तथा सम्पूर्ण शैक्षणिक शुल्क से निम्नानुसार कटौती करते हुए वापस किया जायेगा:-

► राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेजों में प्रवेशित अभ्यर्थियों की जमा समस्त शिक्षण शुल्क से 10 प्रतिशत की कटौती करते हुए शेष धनराशि तथा धरोहर धनराशि (Security Money) वापस कर दी जायेगी।

- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में प्रवेशित अभ्यर्थियों की जमा शिक्षण शुल्क से 10 प्रतिशत की कटौती करते हुए शेष धनराशि तथा धरोहर धनराशि (Security Money) वापस देय होगी।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से प्रवेश ले लिया है तथा उन्हे ऑल इण्डिया या अन्य प्रदेश की काउंसिलिंग से कोई सीट आवंटित नहीं होती है तथा प्रवेशित सीट से त्यागपत्र देना चाहते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग की च्वाईस फिलिंग से दो दिन पूर्व (उदाहरणार्थ यदि द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग की च्वाईस फिलिंग 05.11.2020 से प्रारम्भ है तो अभ्यर्थी 02.11.2020 को सायं 04:00 बजे तक) अपनी सीट से त्याग पत्र दे सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों की जमा धरोहर धनराशि एवं शिक्षण शुल्क से 50 प्रतिशत की कटौती करते हुये शेष धनराशि वापस देय होगी।
- निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रवेशित अभ्यर्थी को सीट रिक्त करने की अनुमति नहीं होगी, यदि अभ्यर्थी द्वारा त्याग पत्र देकर सीट रिक्त की जाती है, तो उसके द्वारा जमा किया गया समस्त शिक्षण शुल्क तथा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी।

#### **9. काउंसिलिंग बोर्ड**

नीट यू०जी० 2019 की मेरिट सूची के आधार पर तैयार की गयी स्टेट मेरिट सूची के अनुसार निम्नानुसार गठित काउंसिलिंग बोर्ड द्वारा काउंसिलिंग/प्रवेश की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी:-

काउंसिलिंग बोर्ड में शामिल अधिकारियों का नाम/पदनाम	प्रास्थिति
महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०।	अध्यक्ष
प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा द्वारा नामित प्रतिनिधि।	श्री आनन्द कुमार, विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन-सदस्य
राजकीय मेडिकल कालेजों के विभिन्न श्रेणी के प्रधानाचार्य/प्रोफेसर।	<ol style="list-style-type: none"> <li>अनुसूचित जाति— डा० जितेन्द्र कुमार राव, प्रोफेसर, आर्थोडेंटिक्स विभाग, के०जी०एम०य००, लखनऊ-सदस्य।</li> <li>अन्य पिछड़ा वर्ग— डा० दिलीप कुमार वर्मा, प्रोफेसर, फिजियोलॉजी विभाग, के०जी०एम०य००, लखनऊ-सदस्य।</li> <li>अनारक्षित श्रेणी— डा० वाणी गुप्ता, आचार्य, फिजियोलॉजी विभाग, के०जी०एम०य००, लखनऊ-सदस्य।</li> <li>अल्पसंख्यक श्रेणी— डा० राहत हादी, अपर आचार्य, रैडियोथिरेपी विभाग, डा० आर०एम०एल० संस्थान, लखनऊ-सदस्य।</li> </ol>
मुख्यालय से महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा नामित अधिकारी।	सदस्य
निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल एसोसिएशन द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य (प्रत्येक एसोसिएशन द्वारा नामित 01-01 प्रतिनिधि)

अल्पसंख्यक संस्थाओं—एराज मेडिकल कालेज, लखनऊ, शीर्षकर महावीर मेडिकल कालेज, मुरादाबाद द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
निदेशक/राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनोआईसी०, योजना भवन, लखनऊ/उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि। परामर्शदाता।	सह सदस्य
अतिरिक्त परामर्शदाता।	डा० अनूप कुमार वर्मा, परीक्षा नियन्त्रक, क०जी०एम०य००, लखनऊ। डा० संदीप भट्टाचार्य, विभागाध्यक्ष, फिजियोलॉजी विभाग, क०जी०एम०य०००, लखनऊ।

**10. राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों में आरक्षण**

(क) प्रदेश के मूल निवासियों को निम्नानुसार आरक्षण अनुमन्य होगा:-

#### उद्धार्धर आरक्षण (वर्टिकल)

1	अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी	21 प्रतिशत
2	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी	02 प्रतिशत
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी	27 प्रतिशत
4	आर्थिक रूप से कमज़ोर (EWS) वर्ग के अभ्यर्थी	10 प्रतिशत

#### विशेष टिप्पणी

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को आरक्षण अनुमन्य किये जाने संबंधी कार्मिक अनुभाग—2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या—1/2019/4/1/2002/का—2/19टी०सी०—।। दिनांक 18.02.2019 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार EWS का आरक्षण उन्हीं पुराने कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में लागू होगा जिनमें एम०सी०आई० द्वारा EWS के आरक्षण हेतु सीटों में वृद्धि की अनुसति प्रदान की जायेगी।

#### क्षेत्रिज आरक्षण (हारिजेण्टल)

नीट य०जी०—२०२० में विभिन्न श्रेणी के प्रदेश के मूल निवासियों को निम्नवत् क्षेत्रिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा—

1	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आन्तिर्णों के लिए	02 प्रतिशत
2	भूतपूर्व सैनिक (दुर्घे में अपेंग/सेवानिपुत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्री के लिए	02 प्रतिशत
3	दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए	05 प्रतिशत
4	महिला अभ्यर्थियों के लिए	20 प्रतिशत
5	‘बी’ ग्रेड सहित ‘सी’ सर्टिफिकेट एन०सी०सी० के लिए	01 प्रतिशत

भारत का राजपत्र एम०सी०आई० की संशोधित अधिसूचना दिनांक 23.01.2018 “स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली (संशोधन) 2017” के बिन्दु—६ “दाखिला, चयन, अंतरण और प्रशिक्षण” में उल्लिखित है कि शीर्षक के अंतर्गत अध्याय II में खण्ड 4 (3) में “चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिला—पात्रता मापदंड” को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“4(3) दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट बेचमार्क विकलांगताओं वाले अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में, अर्हक परीक्षा में एक साथ जोड़कर भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान (या वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान)/जीव-प्रौद्योगिकी में अर्हक परीक्षा में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम

अंक 50 प्रतिशत के बजाय 45 प्रतिशत होंगे तथा अ०ज०१०/अ०ज०१०/अ०पि०१० हेतु 40 प्रतिशत होंगे।

वार्षिक स्वीकृत प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें “राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा” की मेरिट सूची के आधार पर, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार बैचमार्क विकलांगता वाले अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेगी। दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट वर्ग में आरक्षित सीटों के अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता होने पर, उन सीटों को सम्बन्धित श्रेणी में वार्षिक स्वीकृत सीटों में शामिल किया जायेगा।

(ख) उक्त के अतिरिक्त स्पेशल कंपोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित मेडिकल कालेजों कमशः राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर, कन्नौज, जालौन तथा सहारनपुर में “चर्टिंकल” आरक्षण के अन्तर्गत शासन द्वारा सीटों का विभाजन निम्नवत किया गया है:-

क्र	श्रेणी	राज्य सरकार द्वारा आवंटित सीटे	भारत सरकार द्वारा आवंटित सीटे	योग
1	अनुसूचित जाति	62	02	64
2	अनुसूचित जनजाति	05	01	06
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	11	04	15
4	अनारक्षित	07	08	15
	योग	85	15	100

स्पेशल कंपोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित मेडिकल कालेजों में शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार आवंटन की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

ग— शासनादेश संख्या—22 सी०एम० (1) / 26-3-2013 दिनांक 10.06.2013 द्वारा विमुक्त जाति के आरक्षण के संबंध में शासनादेश के बिन्दु संख्या 03 एवं 04 में निम्न व्यवस्था की गयी है:-

बिन्दु संख्या—3 जहां तक विमुक्त जातियों को आरक्षण की सुविधा की अनुमन्यता का प्रश्न है कि विमुक्त जाति के अन्तर्गत आने वाली, जो जातियाँ अनुसूचित जाति अथवा पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत वर्गीकृत है, उन्हे तदनुरूप उक्त वर्गों हेतु अनुमन्य आरक्षण की सुविधा प्रदत्त होगी।

बिन्दु संख्या—4 यह स्पष्ट किया जाता है कि विमुक्त जातियों को विमुक्त जाति के नाम से आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं है, अपितु जैसा की ऊपर स्पष्ट किया गया है कि विमुक्त जातियों की सूची में अंकित वह जातियों, जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित है, उन्हे उक्त जाति को अनुमन्य आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।

(घ) आरक्षित श्रेणी की सीटों के संबंध में निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा:-

- काउसिलिंग में समिलित सीटों पर श्रेणी/उपश्रेणीवार नियमानुसार आरक्षण व्यवस्था लागू किये जाने का दायित्व काउसिलिंग बोर्ड का होगा।
- अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित अभ्यर्थियों तथा भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अंपग/सेवा निवृत्त/शहीद के पुत्र/पुत्रियों) के लिए संगत श्रेणी के अभ्यर्थी होने के संबंध में समय—समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर दिये गये प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।
- कार्मिक अनुभाग—2 के शासनादेश संख्या—18/1/2008—का०—२— 2015, दिनांक 21.04.2015 के अनुसार उ०प्र०० लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग,

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 यथा संशोधित में प्राविधानित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा निर्गत आश्रित प्रमाण पत्र काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत किया जायेगा।

- स्पेशल अपील संख्या—689 / 2015 सुरेन्द्र कुमार कावल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.2015 के परिप्रेक्ष्य में अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से उत्तर-प्रदेश में विस्थापित होकर आये अभ्यर्थियों को नीट यू०पी० यू०जी० 2020 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।
- रिट याचिका संख्या—1968 आफ 2017 ज्योति शुकला बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा हॉरिजाण्टल आरक्षण के संबंध में दिनांक 24.3.2017 को पारित आदेश/निर्णय में इंगित आब्जर्वेशन का अनुपालन के क्रम में क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण का लाभ अभ्यर्थी की अपनी श्रेणी में उपलब्ध सीटों पर प्रस्तुत भासले में मा० उच्च न्यायालय में दाखिल विशेष अनुज्ञा याचिका में पारित होने वाले निर्णय के अधीन अनुमत्य किया जायेगा।
- उत्तर प्रदेश राज्य की नीट यू०जी० 2020 की काउंसिलिंग हेतु जारी किए जाने वाले ब्रौशर में उल्लिखित जातियों के अनुसार ही उत्तर प्रदेश राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को उक्त श्रेणी का लाभ प्रदान किया जायेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र दिनांक 01.04.2020 या उसके बाद का निर्गत होना अनिवार्य होगा।
- दिव्यांगजनों के आरक्षण के संबंध में भारत सरकार के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम—2016 के प्राविधानानुसार 05 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा और दिव्यांगजन के प्रमाण पत्र की जाँच के संबंध में नोडल सेन्टर/मेडिकल कालेजों में मेडिकल बोर्ड की व्यवस्था का उल्लेख ब्रौशर में स्पष्ट रूप से करते हुए मेडिकल कालेजों में मेडिकल बोर्ड के बैठने की तिथि निश्चित करते हुए इसका उल्लेख ब्रौशर में किया जायेगा तथा ससमय वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

#### 11. निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में आरक्षण

निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों/विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों/संस्थाओं/डीम्ड विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण अनुमत्य नहीं होगा।

#### 12. बाण्ड व्यवस्था लागू किए जाने के सम्बन्ध में

- चिकित्सा शिक्षा अनुभाग—2 के शासनादेश संख्या—950 / 71—2—82—/ 2017 दिनांक 07.03.2018 में प्रदान निर्देशों के क्रम में यह अवगत कराया गया है कि राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में स्नातक

(एम०बी०बी०एस० / बी०डी०एस०) पात्र्यकर्मों में प्रवेश पाने वाले छात्रों से 02 वर्ष की अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित बाण्ड भराया जायेगा। बाण्ड की धनराशि ₹0 10 लाख होगी। सेवा के स्थान के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि “महानगरों को छोड़कर अन्य जनपदों में स्थापित राजकीय मेडिकल कालेजों में नॉन पी०जी० जे०आर० के रूप में तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में संविदा चिकित्सा अधिकारी के रूप में।” उपर्युक्त उल्लिखित शासनादेश दिनांक 07.03.2018 विभाग की वेबसाईट [www.updgme.in](http://www.updgme.in) पर प्रदर्शित हो रहा है। सेवा बाण्ड से सम्बन्धित अन्य शर्तों के सम्बन्ध में शासनादेश का अवलोकन किया जायेगा।

### **13. निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज/डेण्टल कालेज से शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में**

नीट यू०जी०-2020 की ऑन लाईन काउंसिलिंग के संचालनार्थ एवं अन्य आवश्यक व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों से आवंटन के परिप्रेक्ष्य में प्रति कालेज ₹0 2,00,000/- (₹0 दो लाख) तथा डेण्टल कालेजों से ₹0 1,00,000/- लाख जमा कराया जायेगा, ताकि काउंसिलिंग के संचालनार्थ एवं अन्य आवश्यक व्ययों की प्रतिपूर्ति किया जाना सम्भव हो सके।

निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों/विश्वविद्यालयों हेतु यह अनिवार्य होगा कि वह शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्क अपनी वेबसाईट पर प्रदर्शित करेंगे एवं अल्प संख्यक संस्थान भी अपने कालेजों हेतु निर्धारित शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्क अपनी वेबसाईट पर प्रदर्शित करेंगे।

### **14. काउंसिलिंग प्रक्रिया**

काउंसिलिंग प्रक्रिया प्रथम व द्वितीय चक में सम्पन्न की जायेगी। अभ्यर्थी को प्रथम चक से आवंटित सीट पर प्रवेश प्राप्त करना होगा, आवंटन के पश्चात प्रवेश न लेने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि (Security Money) जब्त कर ली जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी पुनः धरोहर धनराशि (Security Money) जमा करने के पश्चात ही द्वितीय चक की काउंसिलिंग के लिए अर्ह होगे।

प्रथम चक से अनावंटित/प्रवेशित अभ्यर्थी द्वितीय चक की काउंसिलिंग में प्रतिभाग कर सकेंगे तथा इन्हे पुनः धरोहर धनराशि (Security Money) जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। अभ्यर्थी प्रथम चक की काउंसिलिंग से आवंटित सीट को द्वितीय चक की काउंसिलिंग में Reshuffle कर सकता है। द्वितीय चक की काउंसिलिंग से Reshuffle होने के उपरान्त पूर्व में आवंटित सीट रिक्त होकर किसी अन्य अर्ह अभ्यर्थी को आवंटित कर दी जायेगी, Reshuffle न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश ली गयी सीट यथावत बनी रहेगी। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चक में सीट आवंटित हो जाती है और वे द्वितीय चक की काउंसिलिंग में भी भाग लेते हैं तथा द्वितीय चक की काउंसिलिंग में भी उन्हें प्रथम चक में आवंटित सीट ही पुनः आवंटित हो जाती है तो उन्हें द्वितीय चक की काउंसिलिंग के पश्चात पुनः प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।

अन्यथा उसका अभ्यर्थन निरस्त साना जायेगा और उक्त सीट को रिक्त मानते हुए मौपअप राउण्ड से भर दिया जायेगा।

### **15. मौप—अप राउण्ड**

- माप—अप राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु नीट यू०पी० यू०जी०-२०२० के अह अभ्यर्थियों को ₹० 1000/- पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन प्रक्रिया से जमा करते हुये एन०आई०सी० की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पूर्व से पंजीकृत ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सिक्योरिटी धनराशि जमा है तथा उन्हे कोई आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है, को पुनः पंजीकरण शुल्क जमा करते हुए पंजीकरण कराना अनिवार्य है परन्तु उन्हे सिक्योरिटी धनराशि जमा नहीं करनी होगी।
- माप—अप राउण्ड हेतु वही अभ्यर्थी अह होंगे, जिन्हें नीट यू०पी० यू०जी० २०२० की प्रथम एवं द्वितीय काउंसिलिंग के द्वारा कोई भी सीट आवंटित न हुई हो।
- नीट यू०पी० यू०जी० २०२० की प्रथम या द्वितीय काउंसिलिंग से आवंटन प्राप्त प्रवेशित/अप्रवेशित/त्याग पत्र देने वाले अभ्यर्थी माप—अप राउण्ड हेतु अह नहीं होंगे।
- आवंटन के पश्चात प्रवेश प्रक्रिया On Spot पूर्ण की जायेगी।
- मौप—अप राउण्ड के आयोजन स्थल के नाम की सूचना <https://upneet.gov.in & www.updgme.in> पर पृथक से प्रदर्शित की जायेगी।
- मौप—अप राउण्ड के समय अभ्यर्थी को समस्त शैक्षणिक, जाति प्रभाग पत्र व अन्य प्रपत्र मूलरूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में उनके अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- राजकीय क्षेत्र की सीटों हेतु ₹० 30,000/- तथा निजी क्षेत्र की मेडिकल सीटों हेतु ₹० 2,00,000/- तथा निजी क्षेत्र की डेन्टल सीटों हेतु ₹० 1,00,000/- की सिक्योरिटी धनराशि बैंक ड्राफट जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० (Director General Medical Education & Training, U.P.) Payable at Lucknow के पक्ष में देय हो, को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सिक्योरिटी धनराशि किसी भी दशा में नकद (Cash) नहीं जमा की जायेगी।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज/विश्वविद्यालय में आवंटित अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय ही सम्बन्धित कालेज हेतु शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क का बैंक ड्राफट जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० (Director General Medical Education & Training, U.P.) Payable at Lucknow के पक्ष में देय हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- यदि मौप—अप राउण्ड के सम्पन्न होने के पश्चात निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय की सीटे रिक्त रह जाती है तो ऐसी

सीटों पर प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से पंजीकरण के समय ही विकल्प प्राप्त किया जायेगा और उक्त की सूची सम्बन्धित निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

- नीट 2020 की पूर्व काउंसिलिंग के माध्यम से बी0डी0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेशित है वह अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ ही मॉपअप राउण्ड में प्रतिभाग कर सकेंगे। बी0डी0एस0 में प्रवेशित इच्छुक छात्रों द्वारा मॉप अप राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु सम्बन्धित कालेजों से त्यागपत्र देते हुए मूल प्रमाण पत्रों के साथ आवंटन हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है।
- इस आवंटन हेतु कोई पुनरावंटन (Reshuffling) अनुमत्य नहीं होगा।

मॉपअप राउण्ड हेतु निम्न अभ्यर्थी अर्ह नहीं होंगे—

- नीट यू0पी0 यू0जी0 2020 की प्रथम/द्वितीय काउंसिलिंग के माध्यम से एम0बी0बी0एस0 आवंटन प्राप्त (प्रवेशित/आवंटन के पश्चात प्रवेश न लेने वाले अभ्यर्थी (अप्रवेशित)/त्यागपत्र दे चुके अभ्यर्थी।
- नीट 2020 15% All India Quota के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थी।

#### 16. काउंसिलिंग हेतु समय सारणी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत किये जाने वाले समय-सारणी के दृष्टिगत समय-सारणी का निर्धारण किया जायेगा तथा उसका व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।

#### 17. अन्य आवश्यक निर्देश

- धरोहर धनराशि की वापसी हेतु अर्ह अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के समय ही उनका बैंक एकाउन्ट, आई0एफ0एस0सी0 कोड तथा बैंक का नाम पंजीकरण के समय प्राप्त किया जायेगा।
- मा0 सर्वोच्च न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय द्वारा यू0जी0 नीट प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित दिये गये आदेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- अभ्यर्थियों के शिकायत निवारण (Redressal of Student's Grievances) के लिए महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा एक विशेष अधिकारी नामित किया जाएगा तथा ब्रोशर में व वेबसाइट पर उसका नाम, पदनाम व मोबाइल नम्बर प्रदर्शित किया जाएगा। महानिदेशक द्वारा नामित विशेष अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह अभ्यर्थियों की शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करे।

कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही सम्यबद्ध रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(डा01रजनीश दुबे)

अपर मुख्य सचिव

संख्या— 1657 (1) / 71-4-20—तददिनांक—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. सचिव, मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया/डेण्टल काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली।
2. कुलसचिव, उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफर्झ, इटावा।
3. कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ०प्र० लखनऊ।
4. निदेशक, एस०जी०पी०जी०आई०, लखनऊ।
5. निदेशक, डॉ राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
6. निदेशक, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा।
7. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० लखनऊ।
8. निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ।
9. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, उ०प्र० द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ।
10. समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय, उ०प्र० द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ।
11. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
12. निजी सचिव, मा० चिकित्सा शिक्षा मंत्री/मा० राज्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)

उप सचिव

